न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः एल0एन0मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 09/2021 प्रार्थना–पत्र/चित्तौड़ (GCMS 2021/151)
पंजीयन दिनांक– 04.03.2021
निर्णय दिनांक– 26.07.2021

मम्मू खान पिता पीर मोहम्मद मेवाती मुसलमान, निवासी भिश्ती खेडा, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

–अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये, तहसीलदार चित्तौड़गढ़, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

–रेस्पोडेंट

उपस्थितिः–
1. श्री जयेश कोठारी –अधिवक्ता अपीलांट
2. राजकीय अभिभाषक –अधिवक्ता रेस्पोडेंट

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 19 एवं धारा 151 जाप्ता दीवानी विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ के प्रकरण संख्या–एल. आर./118/2004 निर्णय दिनांक 30.10.2014

निर्णय

दिनांक 26.07.2021

अपीलांट द्वारा यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 19 एवं धारा 151 जाप्ता दीवानी विरूद्ध निर्णय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ के प्रकरण संख्या एल.आर/118/2004 निर्णय दिनांक 30.10.2014 के विरूद्ध दिनांक 16.09.2019 को प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम के साथ न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ को पेश की गई है। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 17.10.2019 के क्रम में पत्रावली स्थानान्तरित होकर न्यायालय संभागीय आयुक्त में दिनांक 08.07.2020 को दर्ज की गई। न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के आदेश क्रमांक 449–50 दिनांक

28.01.2021 के क्रम में जिला चित्तौड़गढ़ का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय में स्थानांतरित किया जाने से न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर से स्थानांतरित होकर दिनांक 04.03.2021 को दर्ज की गई।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील प्रकरण संख्या एल.आर./118/2004 उनवान मम्मू खां पिता पीर खां जाति मेवाती मुसलमान बनाम राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार चित्तौड़गढ़ में अपीलांट व उनके अधिवक्ता बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने से अपील अपीलांट अदम हाजरी में खारिज किये जाने से अप्रसन्न होकर अपीलांट द्वारा यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 30.10.2014 से निम्नानुसार निर्णय पारित किया हैः— ***''अपीलांट अथवा उनके अधिवक्ता बावजूद सूचना उपस्थित नहीं है। अतः अपील अपीलांट की अदम हाजरी में खारिज की जाती है।''***

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

यह प्रार्थना दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री जयेश कोठारी उपस्थित व रेस्पोडेंट की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 14.07.2021 को सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपील प्रकरण संख्या एल.आर./118/2004 उनवान मम्मू खां पिता पीर खां जाति मेवाती मुसलमान बनाम राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार चित्तौड़गढ़ में अपीलांट के पूर्व अधिवक्ता द्वारा अपीलांट को कहा गया कि अपील में बहस पर पत्रावली होने एवं बहस सुनवाई नियत हो जाने पर पेशी की जानकारी अपीलांट को दी जावेगी। अपील की दिनांक 22.03.2005 की पेशी के बाद अधिवक्ता द्वारा अपीलांट को

किसी पेशी की कोई जानकारी नही दी गई है और अपीलांट को न्यायालय से भी अपील विचाराधीन होने के कोई सम्मन जारी हो विधिवत् तामिल नहीं हुए है और अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में उपस्थिति नहीं देने की स्थिति में विधिक प्रावधानों की पालना नहीं होकर अपीलांट को सुनवाई के लिए कोई सूचना पत्र सम्मन जारी नहीं किया गया और दिनांक 30.10.2014 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट व उनके अधिवक्ता बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने का अंकन हो पत्रावाली अदम हाजरी में निर्णित करने का आदेश पारित किया गया। दिनांक 30.10.2014 को अपील अदम हाजरी में निर्णित की गई है, जिसे पुनःग्रहण कराया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। अधिनियम के प्रावधानों में भी स्पष्ट अंकित किया गया है कि "अपील सुनवाई के लिए पुकार होने पर उपसंजात होने से या ऐसी अपेक्षित राशि निक्षिप्त करने से किसी पर्याप्त हेतुक से निवारित हो गया था वहां न्यायालय खर्चे संबंधी या अन्यथा ऐसे निबंधों पर जो वह ठीक समझे अपील को पुनःग्रहण करेगा।" का उपबंधित किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रकरण को पुनःग्रहण कराया जाकर दर्ज फरमा अपील को गुणावगुण पर सुनवाई किया जाना आवश्यक है। साथ ही प्रार्थना पत्र अपीलांट स्वीकार फरमाया जाने बाबत निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट्स ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.10.2014 नियमानुसार होकर उचित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय यथावत रखा जाकर प्रार्थना पत्र अपीलांट खारिज फरमाया जाने बाबत निवेदन किया गया है।

प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट स्वयं द्वारा अपील प्रस्तुत की गयी तथा अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 30.10.2014 को अपीलाण्ट अथवा उसके अधिवक्ता के बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने के आधार पर अपील अपीलाण्ट अदम हाजरी,

अदम पैरवरी खारिज की है, जिसकी अपील/प्रार्थना–पत्र अपीलाण्ट द्वारा अपीलीय न्यायालय में सर्वप्रथम दिनांक 16.09.2019 को प्रस्तुत किया है। बाजदायरी आवेदन के लिए विधि अनुसार मियाद एक माह तय है अर्थात् दिनांक 30.10.2014 से दिनांक 29.11.2014 तक बाजदायरी आवेदन प्रस्तुत किया जाना चाहिये था परन्तु अपीलाण्ट द्वारा यह प्रार्थना–पत्र दिनांक 16.09.2019 को अर्थात् करीब 4 वर्ष 10 माह की अवधि के विलम्ब से प्रस्तुत किया है तथा इसके कारण जो बताये गये हैं वह यह बताये गये है कि अपीलाण्ट अधिवक्ता द्वारा बहस में पत्रावली आने पर अपीलाण्ट को जानकारी देना अवगत करवाया तथा अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में उपस्थिति नहीं देना बताया गया। अपीलाण्ट ने यह कथन किया है कि उसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गई। अपीलाण्ट द्वारा नकल प्राप्त होने की दिनांक 20.08.2016 को प्राप्त हो जाने के बाद बीमार हो जाने का भी वर्णन किया है। मियाद अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र की ताइद में शपथ–पत्र भी प्रस्तुत किया है।

विधि का सुस्थापित प्रावधान है कि मियाद हमेशा उचित व पर्याप्त कारणों से क्षमन (**Condone**) की जानी चाहिये। इस प्रकरण में 4 वर्ष 10 माह की मियाद कण्डोन किये जाने के लिए अपीलाण्ट द्वारा जो आधार दिये गये हैं वे न तो उचित है न ही पर्याप्त है। अपीलाण्ट द्वारा 4 वर्ष 10 माह तक अपने अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं करना एवं अधिवक्ता के माथे ठिकरा फोड़ देना उचित नहीं कहा जा सकता। जब अपीलाण्ट स्वयं अपील प्रस्तुत करता है तो न्यायालय का कोई दायित्व नहीं है कि वह अपीलाण्ट को उसके स्वयं के वादकरण के लिए सूचना दें। अपीलाण्ट द्वारा बीमारी के लिए भी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। न्यायालय हाजा का यह विवेकपूर्ण अभिमत है कि न्यायालय सर्वदा अपने अधिकारों के लिए जागृत व्यक्ति के लिए न्याय प्रक्रिया में तत्परता दिखा सकता है

परन्तु घर–घर जाकर अथवा सोये हुए व्यक्ति को न्याय नहीं दे सकता। इस प्रकरण में 4 वर्ष 10 माह से अधिक की मियाद को कण्डोन किये जाने के लिए कोई उचित, पर्याप्त एवं तर्कसंगत आधार नहीं है, अतएवं बाजदायरी आवेदन सुस्पष्ट रूप से मियाद बाहर होने से खारिज किया जाता है।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर